न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/01/2020

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका चुनाव 2019 नगर पालिका रूपवास जिला भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.01.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 21.11.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी,रूपवास से सूचना चाही गयी थी। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/13 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी,रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी,रूपवास से उनके पत्र क्रमांक/ 61 दिनांक 14.01.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी,रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी,रूपवास से वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है । उपखण्ड अधिकारी,रूपवास के पत्र क्रमांक/61 दिनांक 14.01.2020 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी रूपवास ने अपने जबाव में अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से 9 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी । जिनमें से बिन्दु सं0 9 की सूचना जिला कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण धारा 6(3) के तहत पत्रांक 886 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर को हस्तांतरित कर अपीलान्ट को सूचित कर दिया गया । इसके अलावा बिन्दु संख्या 01 लगायत 08 की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय पत्रांक 274 दिनांक 09.12.2019 से सूचित किया गया था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस बाबत् न तो सूचना शुल्क जमा कराई गई और नहीं इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार किया । उपखण्ड अधिकारी के जबाव के संलग्न पत्र क्रमांक 274 दिनांक 09.12.2019

से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 लगायत 08 की सूचना की बाबत् नियमानुसार सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। फिर भी अपीलार्थी इच्छुक हो तो नियमानुंसार सूचना शुल्क जमा कराकर बिन्दु संख्या 01 लगायत 08 की सूचना प्राप्त कर सकता है ।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी,रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रूपवास को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.14 12:32:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: